

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड(म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अजहर)

वैवाहिक प्रकरण क्र.-04/16

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 06.01.16

विजय सिंह पुत्र गोरे लाल आयु 22 वर्ष जाति कुशवाह, निवासी ग्राम सुज्जे का पुरा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती लक्ष्मी पत्नी विजयसिंह, पुत्री भारत सिंह कुशवाह, आयु 21 वर्ष, जाति कुशवाह ग्राम सुज्जे का पुरा, हाल ग्राम सिरसौदा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अनावेदिका

.....
आवेदक द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

अनावेदिका द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।
.....

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 21.11.17 को घोषित)

1. आवेदक विजय सिंह की ओर से धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत श्रीमती लक्ष्मी के विरुद्ध दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आवेदक का अनावेदिका के साथ विवाह दिनांक 22.04.15 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था, जिसके आधार पर अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है तथा वह माह अगस्त 2015 से अपने मायके ग्राम सिरसौद तहसील गोहद में अपन माता पिता के साथ रह रही है।
3. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवाह के पश्चात आवेदक एवं अनावेदिका, आवेदक के निवास स्थान ग्राम सुज्जे का पुरा तहसील गोहद में पति पत्नी के रूप में सुख पूर्वक रहे तथा आवेदक ने अपने सभी दायित्व पूरे करते हुए अनावेदिका को अपने साथ रखा था। दिनांक 22.08.15 को अनावेदिका के पिता भारत सिंह कुशवाह एवं भाई दिनेश आए और कहा कि श्रावण के त्योहार पर भेज दो तो तब अनावेदिका सारे जेवर जो आवेदक ने विवाह

में चढ़ाए थे एवं सारे कपड़े सहित अपने पिता एवं भाई के साथ राजीखुशी चली गई। आवेदक कई बार अनावेदिका को लेने के लिए गया तथा अपने समाज की पंचायत रिश्तेदारों को लेकर की गई परंतु अनावेदिका ने आने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह आवेदक के साथ नहीं रहेगी और यह भी कहा कि आवेदक को दहेज के मुकद्दे में फंसा देगी। अनावेदिका ने नोटिस दिनांक 30.12.15 को दिया, जिसमें आवेदक के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए और आने से इन्कार कर दिया है। अनावेदिका आवेदक के साथ रहकर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर रही है। उक्त आधारों पर दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना की सहायता की प्रार्थना की गई है।

4. अनावेदिका की ओर से मूल आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य एवं विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर दिया गया है और यह अभिवचन दिया गया है कि अनावेदिका के माता पिता ने लगन फलदान पर 51 हजार रुपए नकद, 21 हजार रुपए नकद टीके पर, पूरे परिवार के लिए 15 हजार रुपए के कपड़े, शादी की बेला पर 51 हजार रुपए नकद, एक टी.वी. कीमती 05 हजार रुपए, पलंग कीमती 10 हजार रुपए, अलमारी कीमती 10 हजार रुपए, सिलाई मशीन कीमती 03 हजार रुपए, तूफान पंखा कीमती 03 हजार रुपए और बक्सा कीमती 03 हजार रुपए, टीके के बर्तन 20 हजार रुपए, एक सोने की आठ आना भर की अंगूठी कीमती 15 हजार रुपए, अनावेदिका के लिए सोने की झुमकी कीमती 15 हजार रुपए, दो सोने की अंगूठी कीमती 15 हजार रुपए दिए थे। जिसे आवेदक विजय सिंह, ससुर गोरेलाल और उनके रिश्तेदार हरिसिंह अपने साथ ग्राम सुज्जे का पुरा ले गए थे। उक्त दहेज एवं सामान से आवेदक विजय सिंह, उसके पिता गोरेलाल, मां मुन्नी बाई, बहिन रेखा, आरती तथा उनके रिश्तेदार हरीसिंह संतुष्ट नहीं हुए और विवाह के बाद से एक मोटरसाइकिल तथा 50 हजार रुपए के लिए परेशान किया जाने लगा तथा अनावेदिका को पत्नी का कोई सुख नहीं दिया गया और न ही उसके साथ दाम्पत्य सुख स्थापित किया और अनावेदिका को मारना पीटना शुरू कर दिया। उक्त बात अनावेदिका ने अपने माता पिता को बताई, जिस पर से अनावेदिका के माता पिता द्वारा हरी सिंह के माध्यम से ग्राम सुज्जे के पुरा पर इन लोगों को समझाने की कोशिश की। परंतु वे नहीं माने। अनावेदिका कोई भी जेवर लेकर अपने पिता के साथ मायके नहीं आई। वास्तविकता यह है कि जब उसके पिता उसकी ससुराल उसे लेने के लिए गए तो एक मोटरसाइकिल एवं 50 हजार रुपए की मांग की तथा कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं करोगे और हमारे

कहे अनुसार तुम्हारी लड़की नहीं चलेगी, तब तक हम तुम्हारी लड़की को अपने घर में नहीं रखेंगे। तब दिनांक 29.08.15 को अनावेदिका का समस्त सामान नकदी व कपड़े स्त्रीधन अपने पास रख लिया और केवल पहनने के कपड़ों के साथ उसे घर से निकाल दिया, तब से ही वह अपने पिता के घर पर रह रही है।

5. अनावेदिका का आगे अभिवचन यह है कि आवेदक कभी भी उसे लेने के लिए नहीं आए और न ही कभी पंचायत जोड़ी, वास्तविकता यह है कि अनावेदिका द्वारा दहेज प्रताड़ना के संबंध में पुलिस को रिपोर्ट की गई तथा दिनांक 30.12.15 को अपने साथ घटित घटना एवं अवैध रूप से रखे गए दहेज के सामान को वापिस लाने का नोटिस दिया, जिसका जवाब आवेदिका द्वारा दिनांक 31.01.16 को गलत रूप से दिया। आवेदक के द्वारा उसके जीवन को नर्क बना दिया गया है। अनावेदिका का आवेदक के साथ रहना उचित नहीं है, उसे खतरा है। अनावेदिका की सास मुन्नी बाई शराब पीती है और कई आवारा लोगों से उसके संबंध है तथा वह जुआ भी खेलती है और रात्रि में उससे भी उन आवारा लोगों से अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, जब अनावेदिका ने इन्कार किया तो ननद रेखा, आरती, ससुर गोरे लाल व सास सभी ने पति को गलत रूप से सिखा कर सभी ने मिलकर के दो दिन तक खाना नहीं दिया और मारपीट की। इस प्रकार कूरता का व्यवहार किया जाने लगा। दिनांक 28.12.15 को अनावेदिका के पिता ने पति विजय सिंह, ससुर गोरेलाल तथा हरीसिंह को ग्राम सिरसौद बुलवाया तथा निवेदन किया कि लड़की तुम्हारे घर दे चुका हूं, इसे साथ ले जाओ और उसके दहेज का सामान उसे बर्ताव के लिए दे दो, लेकिन इन लोगों ने पंचायत में कहा कि उनकी भी एक मांग है कि जब तक 50 हजार रुपए और एक मोटरसाइकिल नहीं दोगे, तब तक न तो लड़की को घर में रखेंगे और न दहेज का सामान लड़की को देंगे। आवेदक ने अनावेदिका को बिना युक्तियुक्त कारण से अनैतिक रूप से परित्याग कर दिया है। अनावेदिका के द्वारा थाना प्रभारी गोहद, मानवाधिकार आयोग म0प्र0, पुलिस अधीक्षक भिण्ड एवं आवेदक विजय सिंह को लिखित नोटिस दिए तथा धारा-125 दं0प्र0सं0 का प्रकरण प्रस्तुत किया, परिवाद भी पेश किया। उक्त आधारों पर आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या अनावेदिका बिना किसी युक्तियुक्त हेतुक के आवेदक का परित्याग किए हुए है, यदि हां तो प्रभाव ?	अप्रमाणित।
2. क्या अनावेदिका, आवेदक से मासिक या एकमुश्त जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्र है, यदि हो तो कितनी राशि ?	अप्रमाणित।
3. क्या अनावेदिका, आवेदक और उसके परिजनों से स्त्रीधन प्राप्त करने की अधिकारिणी है, यदि हां तो कौन-कौन सी वस्तुएं और कितनी धन राशि ?	प्रमाणित। अनावेदिका विवाह में दिए गए कुल 83 हजार रुपए नकद, 5-6 हजार रुपए के बर्तन, 3 हजार रुपए की अलमारी, 2 हजार रुपए का एक कूलर, 1,500/-रुपए का एक पलंग आवेदक से प्राप्त करने की अधिकारी है।
4. अन्य अनुतोष ?	वाद निरस्त किया गया।

सकारण निष्कर्ष

वादप्रश्न क्रमांक 01:-

7. विजय सिंह आ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 22.08.15 को अनावेदिका के पिता भारतसिंह एवं भाई दिनेश आए और कहा कि श्रावण के त्योहार पर भेज दो। अनावेदिका को सारा जेवर जो विवाह में उसने चढ़ाया था, जिसमें सोने का वेंदा आठ आना भर, एक सोने का हार दो तोला, एक सोने का मंगलसूत्र जिसमें आठ आना भर सोने का पेण्डल था, दो तोला सोने की चार चूड़ियां, एक बेसर सोने की दो आने भर की, एक तोला सोने की झुमकी एक जोड़ी, चार सोने की अंगूठी चार-चार आना भर की, 250 ग्राम की चांदी की कशधोनी एवं पाजेब एवं पहनने के सारे कपड़े सहित अपने पिता एवं भाई के साथ राजीखुशी चली गई, तभी से ग्राम सिरसौद में रह रही है। वह कई बार अनावेदिका को लेने गया, समाज की भी पंचायत जोड़ी और रिश्तेदारों को भी लेकर गया। परंतु अनावेदिका ने आने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह उसके साथ नहीं रहेगी तब अनावेदिका ने उसे दिनांक 31.12.15 को नोटिस दिया, जिसमें झूठा आरोप लगाए तथा आने से इन्कार कर दिया। अनावेदिका उसके साथ रहकर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहती है।
8. आवेदक के पिता गोरेलाल अ0सा0-02 पूरन, अ0सा0-03 ने भी उपरोक्त तथ्य बताए हैं। जिसके विपरीत अनावेदिका श्रीमती लक्ष्मी अना0सा0-01 ने समस्त

दिए गए दहेज का सामान एवं जेवर आदि आवेदक और उसके परिवार वालों द्वारा अपने पास रखना बताया है और यह बताया है कि उसके पिता श्रावण के त्योहार पर उसके लेने आए थे उसके पति विजय सिंह तथा उसके परिवार वालों ने दिए गए नकद तथा दहेज के सामान जेवर आदि, उससे छीन लिए तथा उसे घर से निकाल दिया। तब उसके पिता ने हरीसिंह को बुलाया और पंचायत हुई। तब विजय सिंह ने कहा कि जब तक 50 हजार रुपए एवं एक मोटरसाइकिल उन्हें दहेज में नहीं दे देंगे तब तक वह इसी तरह से लड़की को परेशान करेंगे। दिनांक 29.08.15 से जब से उसे अपने पिता के घर भेज दिया, तब से आज तक उसे लेने के लिए नहीं आए हैं। उसके पिता ग्राम सुज्जे का पुरा गए वहां बातचीत की तो विजय सिंह व उसकी मां ने अनावेदिका को अपने साथ रखने के इन्कार कर दिया। बाद में विजय सिंह व उसके पिता गोरे लाल को ग्राम सिरसौद में बुलवाया गया और निवेदन किया कि उसकी लड़की को परेशान मत करो, तो सब लोगों ने 50 हजार रुपए व एक मोटरसाइकिल की बात दोहराई और कहा कि वे लक्ष्मी को तब रखेंगे, जब वे उनकी मांगे पूरी कर देंगे। यही तथ्य लक्ष्मी के पिता भारत सिंह अनासा-02 ने भी बताए हैं।

9. आवेदक विजय सिंह आसा-01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-04 में बेला में 31 हजार रुपए देना बताया है। गोरे लाल आसा-02 ने यह स्वीकार किया है कि शादी के समय लक्ष्मी के पिता भारत सिंह ने 51 हजार रुपए लगन पत्रिका के साथ, टीका पर 11 हजार रुपए, बेला में 21 हजार रुपए, 5-6 हजार रुपए के बर्तन एक अलमारी करीब 3 हजार रुपए, एक कूलर करीब 2 हजार रुपए, एक पलंग करीब 1,500/-रुपए के दिए थे और शादी के बाद उपरोक्त सामान व नकदी को वे अपने गांव ले गए थे। विजय सिंह आसा-01 ने पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि जो सामान भारतसिंह के द्वारा दिया गया था, वे उसे सुज्जे का पुरा ले गए थे। गोरेलाल आसा-02 ने पैरा-05 में सामान अपने पास होना स्वीकार किया है।
10. विजय सिंह आसा-01 के द्वारा पैरा-07 में और गोरे लाल आसा-02 के द्वारा पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि श्रावण के महीने में खबर करने पर भारत सिंह लक्ष्मी को लेने आए थे और लक्ष्मी को 29.08.15 को ले आए थे। विजय सिंह आसा-01 ने पैरा-07 में यह स्वीकार किया है कि समस्त दहेज व सामान अपने पास रख लिया है। इस प्रकार आवेदक विजय सिंह आसा-01 के द्वारा मुख्यपरीक्षण में बताए गए तथ्य सत्य प्रतीत नहीं होते हैं कि उपरोक्त समस्त जेवर

अनावेदिका अपने साथ ले गई।

11. विजय सिंह आ0सा0-01 ने पैरा-09 में यह बताया है कि उसके पास 12 बीघा जमीन है जो सिंचित है, जिसमें दो फसलें होती हैं। जबकि गोरेलाल आ0सा0-02 प्रतिपरीक्षण में पैरा-06 में यह कहता है कि उसके पास दो बीघा जमीन है और उसमें एक ही फसल होती है। विजय सिंह आ0सा0-01 ने पैरा-09 में यह बताया है कि उसके पास निजी ट्रैक्टर है, जबकि गोरेलाल आ0सा0-02 पैरा-06 में यह कहता है कि उसके पास निजी ट्रैक्टर नहीं है। इस प्रकार दोनों ही साक्षियों की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है और साक्षी सत्य के साक्षी प्रकट नहीं होते हैं। जबकि अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं सामग्री के अनुसार विजय सिंह आ0सा0-01 तथा गोरे लाल आ0सा0-02 आपस में पुत्र एवं पिता होकर साथ ही रह रहे हैं।
12. अनावेदिका की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि आवेदक विजय सिंह की मां मुन्नी बाई शराब पीती है और जुआ खेलती है और आवारा किस्म के लोगों के साथ वह उठती बैठती है और उन लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए दवाब डालती है। परंतु अनावेदिका लक्ष्मी अना0सा0-01 पैरा-09 में यह स्वीकार करती है कि उन आवारा किस्म के लोगों के वह नाम नहीं जानती है। अतः ऐसी स्थिति में उसका यह आधार सत्य प्रकट नहीं होता है। भारत सिंह अना0सा0-02 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-04 में यह स्वीकार किया है कि शादी के पहिले आवेदक पक्ष के द्वारा मोटरसाइकिल की मांग नहीं की गई थी लेकिन यह बताया है कि बाद में मांगी थी। यह भी बताया है कि दहेज की मांग सीधे उससे नहीं की गई थी। अपितु बिचोलिए हरीसिंह से की गई थी। यह भी स्वीकार किया है कि उसकी एक लड़की थी इसलिए दहेज की हामी भरी थी। लक्ष्मी अना0सा0-01 एवं भारत सिंह अना0सा0-02 दोनों ने ही प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब लक्ष्मी दूसरी बार ससुराल गई थी। तब दहेज की मांग की गई थी।
13. आवेदक की ओर से लक्ष्मी अना0सा0-01 को प्रतिपरीक्षण के पैरा-10 में यह सुझाव दिया गया है कि वह दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए विजय सिंह के साथ नहीं जा रही है। परंतु आवेदक की ओर से न तो ऐसा अभिवचन किया गया है और न ही ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है कि आवेदिका दूसरी शादी करना चाहती है इसलिए आवेदक के पास नहीं जा रही है। आवेदक की ओर से ऐसा कोई भी कारण नहीं बताया गया है कि अनावेदिका उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है या अनावेदिका ने क्यों आवेदक के साथ रहने से इन्कार कर दिया। जबकि इसके

- विपरीत अनावेदिका ने ही अपना यह आधार बताया है कि आवेदक और उसके परिवार वाले दहेज की मांग करते थे, जिसके संबंध में अनावेदिका की ओर से प्र0डी0-01 का नोटिस दिनांकित 30.12.15 विजय सिंह को भेजा है एवं प्र0डी0-02 की शिकायत थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक एवं मानवाधिकार आयोग को की गई है। यद्यपि आवेदक की ओर से उसे दिए गए नोटिस के जवाब का मसौदा प्र0पी0-01 प्रस्तुत किया गया है। परंतु विजय सिंह आ0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-11 में यह स्वीकार किया है लक्ष्मी के द्वारा उनके विरुद्ध जो-जो कार्यवाही की गई है उसके पूर्व या आज तक लक्ष्मी को साथ रखने व ले जाने के संबंध में लिखित में उसके या उसके पिता या उसके परिवार वालों द्वारा कोई भी नोटिस लक्ष्मी व उसके परिवार वालों को नहीं दिया गया है। स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा लक्ष्मी को साथ रहने के लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है और न कोई प्रयास किया गया है।
14. महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि प्र0पी0-01 के मसौदे में यह तथ्य आए हैं कि विवाह में कोई दहेज नहीं दिया था जबकि साक्ष्य में विजय सिंह आ0सा0-01 एवं गोरेलाल आ0सा0-02 दोनों ने ही दहेज के सामान को सुज्जे पुरा ले जाना बताया है और वर्तमान में भी उनके पास होना स्वीकार किया है। मसौदा प्र0पी0-01 के पैरा-04 में अनावेदिका को दिनांक 22.08.15 को लेने आने के तथ्य लिखे हैं। परंतु वहीं विजय सिंह आ0सा0-01 पैरा-07 में स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि श्रावण के महीने में 29.08.15 को भारत सिंह लक्ष्मी को लेने आए। स्पष्ट है कि नोटिस के जवाब में भी असत्य तथ्य लिखे हुए हैं। विजय सिंह आ0सा0-01 ने मुख्यपरीक्षण में कई बार अनावेदिका को लेने जाना और समाज की पंचायत जोड़ना तथा रिश्तेदारों को भी लेकर जाना बताया है। परंतु आवेदक ने भी कहीं नहीं बताया है कि वह किस किस दिनांक को किस किस व्यक्ति को अपने साथ लेकर गया और किस किस दिनांक को पंचायत जुड़ी।
15. आवेदक की ओर से कोई नोटिस भी अनावेदिका को साथ आने के लिए नहीं दिया गया है। इस प्रकार आवेदक अपने अभिवचनों व साक्ष्य में अनावेदिका द्वारा न आने का कोई युक्ति युक्त कारण नहीं बताया है, जबकि इसके विपरीत आवेदिका के द्वारा न आने का कारण दहेज संबंधी मांग करना और उसे प्रताड़ित करना बताया है। दहेज का सामान आवेदक पक्ष ने अपने पास होना भी स्वीकार किया है। इन परिस्थितियों में यह प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है कि अनावेदिका बिना किसी युक्तियुक्त हेतुक के आवेदक का परित्याग करे हुए है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02:-

16. यह वादप्रश्न अनावेदिका को आवेदक के द्वारा मासिक या एकमुश्त जीवन निर्वाह भत्ते को प्रदान करने के संबंध में है। आदेश पत्रिका दिनांक 22.03.16 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि धारा-24 हिन्दू विवाह अधिनियम के आवेदन का निराकरण करते हुए अनावेदिका को वाद के चलने के दौरान 2,500/-रुपए की राशि दिलाए जाने का आदेश किया गया है। अनावेदिका ने अपने आवेदन अंतर्गत धारा-25 हिन्दू विवाह अधिनियम में जीवन निर्वाह राशि एकमुश्त या 7,500/-रुपए प्रतिमाह की दर से दिलाए जाने की प्रार्थना की गई। परंतु अपनी साक्ष्य में अनावेदिका श्रीमती लक्ष्मी अना0सा0-01 ने कहीं पर भी जीवन निर्वाह भत्ते को दिलाए जाने की प्रार्थना नहीं की है और न ही ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत की है कि आवेदक से 7,500/-रुपए प्रतिमाह का अथवा एकमुश्त जीवन निर्वाह राशि दिलाई जावे।
17. श्रीमती लक्ष्मी अना0सा0-01 ने मुख्यपरीक्षण के पैरा-05 में यह बताया है कि उसने न्यायालय के समक्ष भरण पोषण का वाद प्रस्तुत किया है जिसमें 2,000/-रुपए प्रतिमाह की भरण पोषण राशि स्वीकार हो चुकी है। परंतु कोई भी पैसा अभी तक नहीं दिया है। जहां कि प्रथम से इस संबंध में आदेश किया जा चुका है तब ऐसी स्थिति में पुनः इस न्यायालय के द्वारा भरण पोषण की राशि दिलाए जाने के लिए आदेश किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अनावेदिका इस संबंध में वसूली हेतु विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

वादप्रश्न क्रमांक 03:-

18. उपरोक्तानुसार गोरे लाल आ0सा0-02 ने पैरा-03 में यह स्वीकार किया है शादी के समय लक्ष्मी के पिता भारत सिंह ने 51 हजार रुपए लगन पत्रिका के साथ, टीका पर 11 हजार रुपए, बेला में 21 हजार रुपए, 5-6 हजार रुपए के बर्तन एक अलमारी करीब 3 हजार रुपए, एक कूलर करीब 2 हजार रुपए, एक पलंग करीब 1,500/-रुपए के दिए थे और शादी के बाद उपरोक्त सामान व नकदी को वे अपने गांव ले गए थे। विजय सिंह आ0सा0-01 ने पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि जो सामान भारतसिंह के द्वारा दिया गया था, वे उसे सुज्जे का पुरा ले गए थे। गोरेलाल आ0सा0-02 ने पैरा-05 में सामान अपने पास होना स्वीकार किया है।
19. इस प्रकार विवाह में कुल 83 हजार रुपए नकद, 5-6 हजार रुपए के बर्तन 3 हजार रुपए की अलमारी, 2 हजार रुपए का एक कूलर, 1,500/-रुपए का एक पलंग भारत सिंह के द्वारा दिया जाना प्रमाणित है। अन्य सामान के संबंध में कोई

ऐसी सूची प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसमें सामान लेने और देने की प्राप्ति हो। अतः अन्य सामान आदि विवाह में दिया जाना और अनावेदकगण के पास होना प्रमाणित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में धारा-27 हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सामान एवं नकद राशि अनावेदिका आवेदकगण से प्राप्त करने की अधिकारी है। इस संबंध में न्याय दृ० शारदा देवी बनाम राजकुमार 1983 वीकली नोट्स 514 (एम.पी.), श्रीमती निर्मला गुप्ता बनाम रावेन्द्र कुमार गुप्ता 1996 जे.एल.जे. 462 (एम.पी., डी.बी.) एवं प्रतिभारानी बनाम सूरज कुमार ए.आई.आर. 1985 सुप्रीम कोर्ट 628 अवलोकनीय है।

वाद प्रश्न क्रमांक 04 सहायता एवं वाद व्यय:-

20. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परंतु यह प्रमाणित हुआ है कि उपरोक्तानुसार नकद राशि एवं सामान आवेदक के पास है, जो कि आवेदिका के पिता के द्वारा दिया गया है। अतः निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जाती है और आदेशित किया जाता है कि:-

1. आवेदक के द्वारा दाम्पत्य पुनर्स्थापना हेतु धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रस्तुत यह वाद निरस्त किया जाता है।
2. आवेदक आवेदिका के पिता भारत सिंह के द्वारा विवाह में दिए गए कुल 83 हजार रुपए नकद, 5-6 हजार रुपए के बर्तन, 3 हजार रुपए की अलमारी, 2 हजार रुपए का एक कूलर, 1,500/-रुपए का एक पलंग एक माह के अंदर आवेदिका को प्रदान करें।
3. उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 2,000/-रुपए लगाया जावे।

उपरोक्तानुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड